एड्स निगरानी केन्द्रों की समीक्षा

7276. **श्री कनक सिंह मोहनसिंह मंगरोला:**
श्री आस मोहम्मद:

क्या **प्रधान मंत्री** 16 मार्च, 1995 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 635 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने "एड्स" निगरानी केन्द्रों के कार्यकरण की समीक्षा की है; और

(ख) यदि हां, तो उस समीक्षा के परिणाम क्या रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवर): (क) और (ख) एड्स मानीटरिंग केन्द्रों के कार्यकरण की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और जब भी आवश्यक होता है, उपचारात्मक उपाए किए जाते हैं।

दवाओं की आपूर्ति

7277. **श्री ईश दत्त यादव:**
श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अपने ही स्तर पर राज्यों की दवाओं की आपूर्ति करती है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार और दवा-वार कितनी-कितनी मांग की गयी है; और

(ग) मांग के अनुरूप दवाओं की आपूर्ति न किये जाने के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवर): (क) से (ग) चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए औषधियों की खरीद और आपूर्ति राज्य सरकारों द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों से की जाती है। तथापि, मलेरिया, क्षय रोग, कुष्ठ, दृष्टिहीनता, एड्स की रोकथाम के लिए प्रमुख राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों और ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रमों (उपकेन्द्रों के लिए औषधें) इत्यादि के लिए अनुमोदित प्रतिमानों के अनुसार औषधों की आपूर्ति की जाती है।

आयुर्वेदिक उत्पादों का अशुद्ध होना

7278. **चौधरी हरमोहन सिंह:**
श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि हाल ही में कुछ प्रसिद्ध आयुर्वेदिक उत्पाद अशुद्ध पाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे उत्पादों के निर्माताओं के नाम क्या हैं; और

(ग) इसकी निगरानी करने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या प्रयास किये गये है और इस दिशा में कितनी सफलता मिली है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवर): (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

आयुर्वेदिक संस्थाओं को दवाएं उपलब्ध कराया जाना

7279. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का विकास करने के लिए और देश की आयुर्वेदिक संस्थाओं को आयुर्वेदिक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए कोई प्रयास किये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवर): (क) से (ग) सरकार ने भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी सहित आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के विकास के लिए निम्नलिखित प्रयास किए हैं:

(i) भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी के लिए एक अलग विभाग की स्थापना।

(ii) भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी की शैक्षणिक संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण; भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी की स्नातकोत्तर शिक्षण संस्थाओं को सुविधाओं के विकास के लिए सहायता।

(iii) भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी के